

पत्र संख्या : 7ब/4702 योज०सं०-01/17 84  
झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,  
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 10-08-17

विषय :- मॉग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50S470200796200545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-


क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 20 - पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य,	05-निर्माण, 45-निर्माण काय, विपत्र कोड 50S470200796200545	76.94949

आवंटित राशि - ₹ छियहत्तर लाख चौरानबे हजार नौ सौ उनचास मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2017-18 के बजट उपबंध रु. 11000.00 लाख (एक सौ दस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1363 दि. 09.05.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।



(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)



पत्रांक -

84

/संकी, दिनांक - 10-08-17

परिशिष्ट - 1

भौग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रमाण)

मुख्य शीर्ष - 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष -796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना.

उपशीर्ष - 20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50S470200796200545

बजट उपबंध (वर्ष 2017-18) रु. 11000 लाख (एक सौ दस करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)


क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2017 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी (RNCIRRK01)	खूँटी	अडकी	लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी के अधीन विश्व बैंक समर्थित बिहार पटारी विकास परियोजना के Package No-48 Agreement No-48/97-98 के अंतर्गत करार्ये कार्य का अवशेष भुगतान।	30/17-18 dt 31.07.2017	0.44949	0.00000	0.00000	0.44949	0.44949	54840	
					योग		0.00000	0.00000	0.44949	0.44949		
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार (LTRMIR001)	लातेहार	गाऊ	सोनवार मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार।	90/16-17 dt 23.03.2017	80.310	0.000	0.00000	76.50000	76.50000	54841	
					योग		0.00000	0.00000	76.94949	76.50000		
					कुल योग		0.00000	0.00000	76.94949	76.94949		

आवृत्त राशि - ₹ छियहतर लाख चौरानबे हजार नौ सौ उनवास मात्र।




(ऑफर नाथ)

सहायक अभियंता



(राजेंद्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)



(सुखदेव सिंह)

प्रधान सचिव